न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

श्री एकलिंग जी ट्रस्ट जरिये उप सचिव (प्रशासन), सिटी पैलेस, उदयपुर।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार माली पिता स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम माली, निवासी कैलाशपुरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2. मृतका श्रीमती नारायणी बाई पत्नी स्व. श्री पुरूषोत्तम माली के बजाय :–

2/1. राजेन्द्र कुमार माली पिता स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम माली, निवासी कैलाशपुरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. गिरीश पिता स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम माली, निवासी जलचक्की कांकरोली, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. रामलाल पिता स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम माली, निवासी कैलाशपुरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती सुशीला पत्नी हरिश जी माली पुत्री स्व. श्री पुरूषोत्तम माली, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. श्रीमती गंगी पत्नी गणेशलाल जी माली पुत्री स्व. श्री पुरूषोत्तम माली, निवासी लालबाग, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. श्रीमती अनीता पुत्री स्व. श्री पुरूषोत्तम माली, निवासी चिकलवास, मालियों की होटल, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–8 धार्मिक भवन
एवं स्थान अधिनियम – 1954 विरूद्ध
आदेश जिला कलक्टर, उदयपुर दि0
04.09.2017 प्रकरण संख्या 14/2014

---/---

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पुष्कर लोहार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

---::---

निर्णय दिनांक 27–09–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्[illegible] 11 एवं 11–ए धार्मिक भवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:17 IST
Reason: SelfAttested

एवं स्थान अधिनियम 1954 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी दरवाजे के बाहर मन्दिर श्री एकलिंगजी के खाते की आराजी नंबर 295 रकबा 2 बिस्वा साबिक राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिसके भू–प्रबन्ध के बाद नये नंबर दर्ज नहीं किये गये एवं यह आराजी पास की आराजी नंबर 197 में मिला दी गयी। इस आराजी में एकलिंगजी ट्रस्ट के दो मन्दिर श्री गुप्तेश्वर जी एवं श्री शंकररेश्वर जी स्थित हैं तथा इस मंदिरों के पीछे एक छतरी तथा आगे महासत्या जी का स्थान स्थित है। यह छतरी एवं मंदिर धार्मिक स्थान हैं, जो इस अधिनियम की धारा 6ए में वर्णित है। ग्राम पंचायत कैलाशपुरी द्वारा उक्त भूमि विपक्षीगणों को एलोट कर दी गयी है एवं विपक्षीगण द्वारा बिना जिला कलक्टर की स्वीकृति के उसकी गुम्बज तोड़ दी गयी एवं छतरी को नुकसान पहुंचाया तथा उसे अपनी दुकान में सम्मिलित कर टीन शेड लगा दिया, जो इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार दण्डनीय अपराध है एवं धारा 11ए के तहत उप जिला कलक्टर किसी भी प्रार्थना पत्र पर या उसकी जानकारी होने पर जिला कलक्टर को रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से विपक्षीगण को आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका निरीक्षण कर जांच करावे एवं अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित करें।

विपक्षीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 17–05–1996 को राजेन्द्र माली के पक्ष में पट्टा जारी किया है व नारायणी बाई के पक्ष में दिनांक 02–07–1976 को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं ग्राम पंचायत से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कराया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–09–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर लोहार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 6 बाजिवूद सूचना अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:17 IST
Reason: SelfAttested

रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21–08–2012 में यह कही अंकित नहीं किया कि विपक्षीगण द्वारा जिस भूमि पर निर्माण किया गया है वह धार्मिक भूमि है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध उक्त मौका रिपोर्ट की कलम संख्या 2 में हाल आराजी नंबर 197 में महादेव जी के दो शिखरबन्द मंदिर एवं एक छतरी पुरानी बनी होना संलग्न फोटो ग्राम में स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 17–08–2012 में नीचे से तीसरी लाईन में चक्की के आगे एक पुरानी छतरी मौजूद होना तथा गुम्बद में तोड़ फोड़ किया जाना अंकित है, जिसे अधिनस्थ न्यायलय ने नजर अंदाज कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की मौका रिपोर्ट दिनांक 21–08–2012 में स्पष्ट अंकित है कि आराजी नंबर 197 में श्रीमती नारायणी बाई व उनके पुत्र राजेन्द्र माली द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार पक्का निर्माण करवाया गया है, कुछ पुराना निर्माण गिरा होकर अवशेष मौजूद हैं तथा मौके पर होटल व चक्की व्यवसाय हो रहा है। इसी भूमि बाबत् सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उदयपुर दक्षिण में प्रकरण संख्या 329/95 दर्ज होकर दिनांक 24–09–1999 को डिक्री जारी हो चुकी है, जो आज दिनांक को स्टैण्ड कर रहा है तथा इसकी कोई अपील अन्य न्यायालय में नहीं हुई है। इसी आराजी बाबत् एक अन्य वाद श्री एकलिंगजी ट्रस्ट द्वारा न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 उदयपुर में 30/04 विचाराधीन [illegible] उक्त प्रकरण में दिनांक 03–08–2004 को स्थगन जारी है। यह [illegible] वर्तमान में न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:17 IST
Reason: SelfAttested

विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–09–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:17 IST
Reason: SelfAttested